संख्याः 09 लो0नि0–2/04–100(प्रा.आ.)/02

प्रेषक,

टी. के. पंत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनॉक 8 जनवरी, 2004

विषयः जनपद अल्मोड़ा में मरचूला–भैरगखाल सौपखाल डोटियाल सराईखेत मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण के कार्य की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 8500/लो.नि.–2/03–100(प्रा.आ.)/2002 दिनांक 10फरवरी, 2003 के क्रम में एवं आपके पत्र सं0 2773/150 याता.उत्तरांचल/03 दिनांक 24–11–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश द्वारा दी गई स्वीकृति को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर मरचूला–भैरंगखाल सौपखाल डोटियाल सराईखेत मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण के प्रस्तुत आगणन रु0 756.40 लाख का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त आंकलित रु0 668.52 लाख (रुपये छः करोड़ अडसठ लाख बावन हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003–2004 में रु0 5.00 लाख (रुपये पाँच लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश संख्या 8500/लो.नि.–2/03–100(प्रा.आ.)/2002 दिनांक 10फरवरी, 2003 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति को निरस्त समझा जायेगा। इस सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के समर्पण करने का दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियंता का होगा।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें। निरीक्षण के निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरुप कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, व्यय उन्ही मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों में कदाचित व्यय न की जाय।

8 – कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी का होगा।

.........2

९– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, टैण्डर विषयक नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्यों के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

१०– स्वीकृत की जा रही पूर्ण धनराशि का दिनांक 31–3–2004 तक उपयोग करके उसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण देते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही आगामी किश्त स्वीकृत की जायेगी।

११– इस कार्य में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 में अनुदान संख्या 22 के लेखा शीर्षक –5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800 –अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

१२– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 2358 /वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 7 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।

संख्याः ८९ (1)लो0नि0–2/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. मुख्य अभियंता, कुमायूं क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।